

समाहरणालय, अररिया

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण -सूचना

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांविध्य द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्राधीन मध्य / उच्च / इंटर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पुस्तकों को क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है। तदालोक में पुस्तक क्रय करने हेतु प्रमाणित प्रकाशकों / वितरकों / विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय / तकनीकी अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 17.02.2015 को 2.00 बजे अपराह्न /पूर्वाह्न तक जिला योजना कार्यालय, अररिया में रजिस्टर्ड डाक / कोरियर / या स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निवेदा आगोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी जिसमें निवेदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक से अनुमोदित पुस्तकों की सूची कार्यालय अर्थात् में अपने निजी खर्च पर भ्रया प्रति प्राप्त कर सकते हैं। अथवा अररिया जिला के वेबसाइट araria.bih.nic.in पर भी देख सकते हैं।

निवेदा की शर्तें :-

1. क्रय की जानेवाली पुस्तकों के टाइटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन /संशोधन मान्य नहीं होगा।
2. बजट साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
3. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकों स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्रत्येक पुस्तक अधिमात्र आई०एस०बी०एन० संस्था के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
5. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों का निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगी।

क्र० सं०	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम एवं पुरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	साजिलद/अजिलद एवं मूल्य मुद्रित
----------	---------------	-------------	-----------------------------	------	--------------	--------------	--------------------------------

7. लेन दर्ज का आयकर, बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण-पत्र, रिटर्न एवं पैन नम्बर की प्रतियाँ संलग्न करना होगा।
8. निवेदा के साथ 25,000--00 (पचीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट (जमानत की रकम) अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी अररिया के पदनाम से होगा।
9. निवेदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन श्रावण-पत्र देना होगा।

10. आपूर्तिकर्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राथमिक पत्र जमा करना पड़ेगा।
11. विगत वर्षों से सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों में पुस्तक आपूर्ति करने वाले निवेदाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. गुणवत्ता के लिए आई0एस0ओ0का प्रमाण-पत्र प्राप्त निवेदाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. निवेदाताओं को पिछले तीन वर्षों में औसतन टर्नओवर 50 (पचास लाख) या अधिक होना आवश्यक होगा।


(ख) वित्तीय निवेदा की शर्तें :-

1.

वित्तीय निवेदा के लिफाफे में निवेदाता आपूर्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों का छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे।

(ग) सामान्य शर्तें -

1. जिन्की निवेदा के लिफाफे स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचाकर करनी होगी। आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही एंजिनेयर्स में किसी भी प्रकार के बुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
2. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।
3. तकनीकी निवेदा में असफल निवेदाताओं की वित्तीय निवेदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी समय बिना कारण बताये निवेदा को रद्द करने का अधिकार अधीनस्थानों को सुरक्षित होगा।
5. किसी भी तरह का विवाद होने पर व्यापिक क्षेत्र अररिया होगा।
6. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।


जिला पदाधिकारी,
अररिया